प्रेस नोट थाना हरपुर बुदहट दिनांक 07-04-2021 प्राथमिक विद्यालय में चोरी के अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखप्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अपराध रोकथाम हेत् पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशा-निर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व मे उ०नि० उदयभान सिंह मय पुलिस फोर्स के साथ लेकर माल व मुलजिमान की पतारसी सुरागरसी क्षेत्र में कर रहा था कि मुखबिर ख़ास उपस्थिति आकर बताया कि साहब ग्राम कटसहरा व ग्राम रघुनाथपुर के प्राथमिक विद्यालयों के चोरी के बारे में हम लोगो ने पता लगा लिया है हम लोगो को पता चला है कि ग्राम कटसहरा के नवयुवक लड़के राजू उर्फ मोह्म्मद वसीम पुत्र मोहमद गुलाम हुसैन व शत्रुधन पुत्र बहराइची अपने शान शौकत में आए दिन छोटी मोटी चोरियां क्षेत्र में कर रहे है इसकी पूरे क्षेत्र में चर्चा आम है हम लोगो की जानकारी के हिसाब से यही दोनों लोग ग्राम कटसहरा व ग्राम रघुनाथपुर के प्राथमिक विद्यालयों से चोरी किए है हम लोगो को पता चला है कि इस समय उक्त दोनों लोग कटसहरा गांव के दक्षिण स्थित कब्रिस्तान के पास तालाब पर मौजूद है यदि इन लोगों को पकड़ कर कड़ाई से पूछताछ किया जाए तो दोनों विद्यालयों की चोरियों का पर्दा फास व चोरी गए सामानों की बरामादगी हो सकता है इस सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारीगण को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर मुखबिर को साथ लेकर आशनाई राह से गवाहन अध्यापक गण प्राथमिक विद्यालय कटसहरा बालेन्द्र पुत्र जवाहिर व गणेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व दयाशंकर गुप्ता को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर कब्रिस्तान ग्राम कटसहरा पहुंचा मुखबिर इशारा करके वापस चला गया गवाहान हमराही कर्मचारी गणो के साथ दीवार की आड़ मे छीपते छीपाते उक्त दोनों व्यक्तियों के समीप पहुंचकर रोका व टोका गया तो भागने का प्रयास जिन्हे घेर घार कर पकड लिया गया जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम राजू उर्फ मोहम्मद वसीम पुत्र मोहम्मद गुलाम हुसैन निवासी ग्राम कटरा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर व दूसरे ने अपना नाम शत्रुघ्न बेलदार पुत्र बहराइची बेलदार निवासी ग्राम कटसहरा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर बताएं उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से मुकदमा उपरोक्त के संबंध में कड़ाई से पूछताछ किया गया तो दोनों लोगों ने मुकदमा उपरोक्त के जुर्म को स्वीकार करते हुए तथा माफी मांगते हुए बताया कि साहब हम दोनों से गलती हो गई है हम लोगों ने लगभग दो महीने पहले प्राथमिक विद्यालय ग्राम रघुनाथपुर के स्कूल के कमरे का ताला तोड़ कर रजिस्टर ,कुर्सी ,कैरम बोर्ड ,हथौड़ी चोरी किये थे जो हमने इसी कब्रिस्तान के पास स्थित तालाब के किनारे गढ्ढे में ढांक तोपकर छिपाकर बेचने के लिए रखा था आप कहे तो हम लोग उक्त सभी सामान आप को दे सकते है उपरोक्त दोनो अभियुक्तगण का यह कथन हमराहीयान व गवाहन को इत्मीनान करा कर अभियुक्त गणों के साथ उनके बताए गड्ढे के पास पहुंचा गया तो उपरोक्त राजू व शत्रुघन स्वयं आगे बढ़कर गड्ढे के ऊपर रखे घास फूस को हटाकर गड्ढे में से दो अदद प्लास्टिक की कुर्सी ,एक अदद हथौड़ी,एक अदद खेल सामग्री कैरम बौर्ड स्वयं अपने हाथो से गड्ढे से निकाल कर देते हुए बताए कि यह सारा सामान हमने प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर से चोरी किया है। उक्त चोरी किये गये अन्य सामान एवं अभिलेखो के सम्बन्ध में पूछने पर बताये कि साहब वो सब सामान हम लोगों के किसी काम का नहीं है इस लिये हम लोगों ने जला दिया। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों का यह कार्य जुर्म धारा 457/380/411 आईपीसी का अपराध पाया गया अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के नियमों का पालन करते हुए समक्ष गवाहन वह हमराहियान अभियुक्त गणों को समय करीब 16: 20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्तगण को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण —</u> अज्ञात चोर द्वारा प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर के गेट व कमरो व आफिस का ताला तोड़ कर विद्यालय से अध्यापक उपस्थित पंजिका, छात्र उपस्थित पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका व E पाठशाला पंजिका ,शिक्षण योजना पंजिका ,MDM पंजिका , विद्यालय विकास योजना पंजिका ,प्रबन्ध समिति पंजिका खाद्यान्न वितरण पंजिका ड्रेस वितरण पंजिका पुस्तक वितरण पंजिका व आठ कुर्सी ,स्ट्रेशनरी समान व खेल-कूद सामग्री ,व फस्टड्रेड कीट विद्यालय से चोरी करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादिनी श्रीमती किरन सिंह प्र030 प्रा0वि0 रघुनाथपुर सहजनवां गोरखपुर की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 21.01.2021 को मु030सं0 06/2021

धारा 380/457 भादिवि विरुद्ध बनाम अज्ञात के पंजीकृत हुआ तथा खुद के नियुक्त प्राथिमक विद्यालय कटसहरा से 07 बोरी (3.5 कुन्टल चावल), 08 बोरी (04 कुन्टल गेहूँ), छोटा गैस सिलेण्डर (05 कि0ग्रा0 वजन का), बर्तन इत्यादि अज्ञात चोरो द्वारा चुरा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादी कमलेश कुमार प्रधानाध्यापक प्रा0िवि कटसहरा विकास खण्ड सहजनवां जनपद गोरखपुर की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 04.04.2021 को मु0अ0सं0 29/2021 धारा 380 भादिवि विरुद्ध बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत हुआ। उक्त घटना में 02 अभियुक्त प्रकाश में आये जिन्हे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

- 1. राजू उर्फ मोहम्मद वसीम पुत्र मोहम्मद गुलाम हुसैन उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम कटरा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखप्र
- 2. शत्रुघ्न बेलदार पुत्र बहराइची बेलदार उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम कटसहरा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर

अभियोग जिसमें गिरफ्तारी की गयी का विवरण:-

- 1. मु0अ0सं0 29/2021 धारा 380/411 भादवि0 थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर
- 2. मु0अ0सं0 06/2021 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना हरपुर बुदहट जनपद गौरखपुर

अपराधिक इतिहासः-

- 1. राजू उर्फ मोहम्मद वसीम पुत्र मोहम्मद गुलाम हुसैन उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम कटरा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर -- मु0अ0सं0 29/2021 धारा 380/411 भादवि0 व मु0अ0सं0 06/2021 धारा 457/380/411 भादवि0
- 2. शत्रुघ्न बेलदार पुत्र बहराइची बेलदार उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम कटसहरा थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर-मु0अ0सं0 29/2021 धारा 380/411 भादवि0 व मु0अ0सं0 06/2021 धारा 457/380/411 भादवि0

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

कब्रिस्तान बहद ग्राम कटहसरा व दिनांक 06.04.2021 समय 14.20 बजे

गिरफ्तारी टीम के सदस्यगणः-

- 1. उ०नि० श्री उदयभान सिंह थाना हरपुर बुदहट,जनपद गोरखपुर
- 2. हे0का0 लालबचन यादव थाना हरपुर बुदहट,जनपद गोरखपुर
- 3. हे0का0 जयशंकर सिंह थाना हरपुर बुदहट,जनपद गोरखपुर